

By Speed Post

संख्या 23/47/2010-आई टी

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग

(आई टी डेस्क)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

दिनांक 27 सितम्बर, 2010



सेवा में,

श्री प्रवेश रंजन झा

पंजीयक(फर्म एवं सोसायटी)

दक्षिणी जिला,

एम.बी.रोड, साकेत

नई दिल्ली।

विषय : - संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के तहत "ALL INDIA CITIZEN'S ALLIANCE FOR PROGRESS & DEVELOPMENT(AICAPD)" नाम का अनुमति देना।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 01.09.2010 के पत्र संख्या No.F/Registrar(Firm/Society) 2010-11/7561 के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग को संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के तहत "तहत "ALL INDIA CITIZEN'S ALLIANCE FOR PROGRESS & DEVELOPMENT(AICAPD)" नाम का प्रयोग करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

इसे सचिव(30मा0) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

10/a.A
3/10/10

02/10/10

02/10/10

02/10/10
par 12/10/10

भवदीय

(बृज मोहन)
निदेशक (आई.टी.)